

नवों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण
राष्ट्र धारा 13(12) के तहत प्रदत्त
राष्ट्र-कर्मचारों/व्यक्तिगतताओं/गणेशों
निरिक्त ब्याज तथा यमी लागत प्रचार
को और विशेष रूप से कर्मदारों (रों)
कसी अधिनियम को धारा 13(4) के
के संकाया 21.08.2024 तक
लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,
आधार पर" और "आश्रय गृह
यमी आश्रयित करने ला रहे हैं।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

HO/MA/1221/0318 मा. प्र. प्र.सं. १२२१/०३१८ दि. २०/०७/२०२३	३.२०:२०:३० २०/०७-२०२३	३० मिनट प्रश्न सं. १-५ मा. प्र.सं. १२२१/०३१८, प्र.सं. १२२१/०३१८, प्र.सं. १२२१/०३१८
HO/MA/00000353 मा. प्र. प्र.सं. ००००३५३ दि. २०/०७-२०२३	१.००:१०:१० २०/०७-२०२३	३० मिनट प्रश्न सं. १-५ मा. प्र.सं. ००००३५३, प्र.सं. ००००३५३, प्र.सं. ००००३५३

[illegible][illegible][illegible][illegible]

१०. १०.२०२० में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका कारण है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत/उत्पादक किसानों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी। ११. १०.२०२० में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका कारण है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत/उत्पादक किसानों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी।	१२. १०.२०२० में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका कारण है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत/उत्पादक किसानों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी। १३. १०.२०२० में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका कारण है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत/उत्पादक किसानों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी।	१४. १०.२०२० में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका कारण है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत/उत्पादक किसानों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी। १५. १०.२०२० में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका कारण है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत/उत्पादक किसानों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी।
---	---	---

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]